⇒ इन मुद्दों में से अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूर्ण समाधान अकेले नहीं कर सकती। इसी कारण से ये मुद्दे विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं।

⇒ विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे ने 1960 के दशक से राजनीतिक स्वरूप हासिल किया, जिसके समाधान हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास हुए, जिनमें सन् 1992 का पृथ्वी सम्मेलन प्रमुख है।

⇒ सन् 1992 का संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण तथा विकास सम्बन्धी सम्मेलन अथवा पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो-डी-जेनेरियो में हुआ जिसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों तथा हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने हिस्सा लिया।

⇒ रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं वानिकी के सम्बन्ध में कई नियमों का निर्धारण किया गया। इसमें एजेंडा-21 के तहत विकास के कुछ तौर-तरीके भी सुझाए गए।

⇒ रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का ऐसा तरीका होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को कोई हानि न हो।

(2.) विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा :—

⇒ विश्व के कुछ क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसका प्रबन्धन साझे तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पृथ्वी का वायुमण्डल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह एवं बाह्य अन्तरिक्ष सम्मिलित है।

⇒ वैश्विक सम्पदा की सुरक्षा के लिए कई समझौते हो चुके हैं जिनमें अंटार्कटिका सन्धि (1959), मांट्रियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल 1987) एवं अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार (1991) आदि हैं।

(3.) साझी परन्तु अलग - अलग जिम्मेदारियाँ :—

⇒ सन् 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे 'साझी परंतु अलग - अलग जिम्मेदारियाँ' का सिद्धांत कहा गया।

⇒ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन तथा क्लोरो - फ्लोरो कार्बन गैसें वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) में अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं।

⇒ विश्व में बढ़ते औद्योगीकरण के दौर को वर्तमान वैश्विक तापवृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का जिम्मेवार माना जाता है।

(4.) साझी संपदा :—

⇒ साझी संपदा का अर्थ होता है कि ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो।

⇒ भारत के वन - प्रदेशों में विद्यमान पावन वन-प्रांतरों का प्रबंध परम्परानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है।

(5.) पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष :—

⇒ भारत ने पर्यावरण सम्बन्धी क्योटो प्रोटोकॉल पर सन् 2002 में हस्ताक्षर कर दिये है।

⇒ 2005 के जून में ग्रुप-8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशो में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशो की तुलना में नाममात्र है।

⇒ भारत के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक एवं वर्तमान जवाबदेही विकसित देशों की है, विकासशील देशों की प्रथम एवं अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक एवं सामाजिक विकास की है।

⇒ 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन प्रतिव्यक्ति हो जाएगी।

⇒ भारत ने अपनी 'नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी' के अन्तर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है।

⇒ 2001 में ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम पारित हुआ।

⇒ 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है।

⇒ भारत ने बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाया है

⇒ 2 अक्टूबर 2016 को पैरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया।

⇒ भारत ने पृथ्वी - सम्मेलन (रियो) के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया।

⇒ भारत का यह भी मानना है कि 'ब्रह्मोस' (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनायें ताकि इस क्षेत्र की आवाज बन सके।

(6.) पर्यावरण आंदोलन — एक या अनेक :—

⇒ मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा भारत इत्यादि देशों में वन आन्दोलन पर बहुत दबाव है।

⇒ पिछले तीन दशकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जन आन्दोलन हुए है, जिनमें खनिज उद्योगों के नुकसानों, वनों की रक्षा तथा बड़े बाँधों के खिलाफ आन्दोलन प्रमुख है।

⇒ भारत में बाँधों के खिलाफ नर्मदा बचाओ आन्दोलन तथा वनों की रक्षा हेतु चिपको आन्दोलन प्रमुख है।

(7.) संसाधनों की भू-राजनीति :—

⇒ यूरोपीय शक्तियों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन एवं उद्देश्य संसाधन रहे हैं।

⇒ खनिज तेल के साथ विपुल सम्पदा जुड़ी है जिस कारण इस पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया।

⇒ पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी-क्षेत्र विश्व के कुल तेल-उत्पादन का 30 प्रतिशत मुहैया कराता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल-भंडार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल-उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल-भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आता है।

⇒ विश्व की राजनीति में पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में स्वच्छ जल की लगातार कमी होती जा रही है तथा विश्व के प्रत्येक भाग में स्वच्छ जल मौजूद नहीं है। फलस्वरूप 21वीं शताब्दी में इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना बढ़ रही है।

⇒ 1950 और 1960 के दशक में इजरायल सीरिया तथा जार्डन के बीच जल को लेकर संघर्ष हुआ। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी को लेकर संघर्ष है।

(8.) मूलवासी (Indigerous People) और उनके अधिकार :—

⇒ मूलवासियों का प्रश्न पर्यावरण, संसाधन एवं राजनीति को एक साथ जोड़ देता है।

⇒ संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से निवास करते चले आ रहे हैं।

⇒ मूलवासी आज भी अपनी परम्परा, सांस्कृतिक रीति-रिवाज एवं अपने विशेष सामाजिक-आर्थिक तौर-तरीकों के अनुसार ही अपना जीवन-यापन करना पसन्द करते हैं।

⇒ वर्तमान में भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में लगभग 30 करोड़ मूलवासी निवास कर रहे हैं।

⇒ भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति अथवा आदिवासी शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

⇒ 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ़ इंडिजिनस पीपल का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रथम इस परिषद् को परामर्शदात्री परिषद् का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों से सम्बन्धित 10 अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी यह दर्जा दिया गया।

★ ⇒ प्राकृतिक संसाधन (संपदा) :— प्रकृति से प्राप्त उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, वनस्पति, जल, खनिज एवं ईंधन, सौर ऊर्जा, मछली एवं अन्य प्राणी इत्यादि विभिन्न उपहार।

★ ⇒ मूलवासी :— जनता का वह भाग जो किसी वन प्रदेश में आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हों।

⇒ ★ UNFCCC :— यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका प्रकाशन सन् 1992 में हुआ। ये जलवायु के परिवर्तन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघ के नियमवार हैं।

⇒ ★ देवस्थान (पावन वन-प्रांतर) :— प्राचीनकाल से कुछ भारतीय समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा हेतु वनों के कुछ भागों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवताओं का निवास स्थान माना जाता है।

⇒ ★ प्राकृतिक गैस :— गैस के रूप में पाए जाने वाले स्वतन्त्र हाइड्रोकार्बन जो प्राय: अशोधित खनिज तेल से सम्बन्धित होते हैं या प्राकृतिक रूप से भू-गर्भ में पाए जाते हैं।